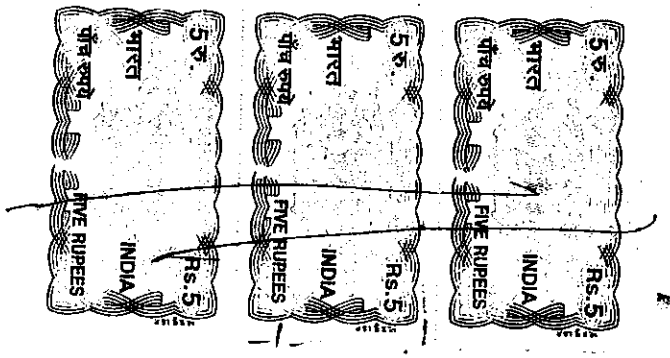

148

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक:- /२०१५- निगरानी R-3293/I/15

१- इन्द्रवीर सिंह पुत्र श्यामसुन्दर,

२- रामवीर सिंह पुत्र अतर सिंह

निवासीगण- ग्राम मिसौरा,तैहसील व जिला मुरैना (मध्यप्रदेश) ।

------- प्रार्थीगण

दिनांक 8.10.15 को श्री कृष्ण कुमार अवस्थी अभि० द्वारा प्रस्तुत।

8.10.15

विरुध्द

१- वीरेन्द्र सिंह

२- अमर सिंह

३- मैहताब सिंह

४- सुरेश सिंह

पुत्रगण जयराम सिंह, निवासीगण चन्दू का पुरा,तैहसील व जिला मुरैना(मध्यप्रदेश) ।

------- प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी विरुध्द आदेश अपर आयुक्त महोदय चम्बल संभाग,मुरैना दिनांक २७-०८-१५अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता,१९५९। प्र०क्र० १६२/१३-१४ अपील ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थनापत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, अपर आयुक्त महोदय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, अपर आयुक्त महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

३- यह कि, यह सुस्थापित न्याय सिध्दान्त है कि दीवानी न्यायालय का निर्णय राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी प्रभाव रखता है । वर्तमान प्रकरण में स्वत्व के सम्बन्ध में दीवानी न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है ऐसी स्थिति में दीवानी न्यायालय के निर्णय तक

क्रमशः---२

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 3293–एक/15 जिला – मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16.11.16	यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्र0क0 192/13–14 अपील माल में पारित आदेश दिनांक 27–8–15 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । आलोच्य आदेश द्वाराउ अपर आयुक्त ने आवेदकों की ओर से संहिता की धारा 32 के तहत प्रस्तुत आवेदन को निरस्त करते हुए प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया है । 2/ प्रकरण में दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया । आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदकों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में संहिता की धारा 32 के तहत जो आवेदन पेश किया गया है, उसमें यह लेख किा गया है कि उभयपक्ष के मध्य स्वत्व घोषणा का वाद प्रचलित है जिसमें 18–4–15 को उनके पक्ष में स्थगन आदेश प्रकरण के अंतिम निराकरण तक स्थगन दिया जाकर विवादित भूमियों को विक्रय अंतरण न करने का भी आदेश दिया गया है चूंकि स्वत्व के संबंध में विवाद दीवानी न्यायालय में प्रचलित है अतः दीवानी न्यायालय से अंतिम आदेश होने तक प्रचलित कार्यवाही को स्थगित किया जाये । विद्वान अपर आयुक्त ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को इस आधार पर निरस्त किया गया है कि व्यवहार न्यायालय द्वारा पक्षकारों को विवादित भूमि को प्रकरण	

R- 3293-II/15 (मुरैना)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	के अंतिम निराकरण तक विक्रय या अंतरण न किए जाने के निर्देश उभयपक्षों को दिए हैं, न्यायालय को प्रचलित कार्यवाही को रोके जाने बावत कोई आदेश नहीं दिया गया है । इस न्यायालय के समक्ष भी आवेदक की ओर से यह नहीं बताया जा सका कि व्यवहार न्यायालय द्वारा राजस्व न्यायालयों की कार्यवाही को स्थगित किए जाने के संबंध में कोई आदेश दिया गया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक के आवेदन को निरस्त कर प्रकरण तर्क हेतु नियत किए जाने के निर्देश देने में कोई न्यायिक या विधिक त्रुटि नहीं की है । दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अभिलेख वापिस हों । सदस्य	